



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 61/13/स्कू.बा/सा.वि./10/645

दिनांक: 01/12/2014

अधिसूचना

पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक: 45/2009 (14.07.2014 को संशोधित) के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार साहित्य-विद्यापीठ के स्कूल-बोर्ड (School Board) का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

- | | |
|--|--|
| 1. अधिष्ठाता- | प्रो. के. के. सिंह, अध्यक्ष |
| 2. विद्यापीठ के अंतर्गत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष- | प्रो. के.के.सिंह, अध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग |
| 3. विद्यापीठ के सभी प्रोफेसर- | प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल |
| 4. विद्यापीठ के अंतर्गत सभी विभागों से एक एसोसिएट प्रोफेसर (वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत) - | डॉ. प्रीति सागर
हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग |
| 5. विद्यापीठ के अंतर्गत सभी विभागों से एक सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत) - | डॉ. रामानुज अस्थाना
हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग |
| 6. दो बाह्य विषय विशेषज्ञ (कुलपति द्वारा नामित)- | सदस्य |
| प्रो. आर. एस. सर्राजू
अध्यक्ष, हिंदी विभाग
केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद | |
| प्रो. आनंद प्रकाश त्रिपाठी
अध्यक्ष, हिंदी विभाग
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर | |
| 7. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक)- | सचिव |

क्रम संख्या चार से छः तक के सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।
यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान) 01/12/14

प्रति: संबंधित सभी।

प्रतिलिपि:

1. प्रतिकुलपति कार्यालय
2. उपकुलसचिव (अकादमिक)
3. साहित्य विद्यापीठ
4. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. कार्यालय प्रति